

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक: प015(141)ज.सं./2013

जयपुर, दिनांक :

17 JUN 2015

:- आदेश :-

श्री राधेश्याम वर्मा, सहायक अभियंता (सिविल/डिप्लोमा) को आदेश क्रमांक प. 15(141)जसं/13 दिनांक 28.02.14 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध नियम 24(ए) के उपनियम 11(बी) के तहत रिव्यू एण्ड रिवीजन के आधार पर सहायक अभियंता (सिविल/डिप्लोमा) के पद पर पदोन्नत किया गया था। दिनांक 06.02.15 को सहायक अभियंता (सिविल/डिप्लोमा) की वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है। समिति ने सहायक अभियंता (सिविल/डिप्लोमा) की इस वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध श्री वर्मा की पदोन्नति की अनुशंषा नहीं की है। फलस्वरूप वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू एण्ड रिवीजन के आधार पर की गई इनकी पदोन्नति निष्प्रभावी हो गई है। अतः सहायक अभियंता (सिविल/डिप्लोमा) की वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध श्री वर्मा की रिव्यू एण्ड रिवीजन के आधार पर की गई पदोन्नति को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd-

(पंकज ओझा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 7/11/15
19/6/15
1. निजी सचिव, मा10 मंत्री, जल संसाधन विभाग।
 2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
 4. संयुक्त शासन सचिव, कामिक (क-2) विभाग।
 5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित करावे।
 6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव